सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **10/2018** अपील (राजस्व)

1. श्री शोभालाल पिता श्री शंकरलाल जी जणवा निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती चांदीबाई बेवा श्री शंकरलाल जी , जणवा निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर नामान्तरकरण संख्या 3407 दिनांक 27.10.2017

उपस्थित : श्री विजय कुमार ओस्तवाल अधिवक्ता अपीलान्टगण
श्री पी.सी.जैन अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
श्री मनोज कुमार पंवार, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—05.08.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील निर्णय विरूद्ध तहसीलदार वल्लभनगर के नामान्तकरण संख्या 3407 दिनांक 27.10.2017 के प्रस्तुत कर निवेदन किया किः—

अपीलान्ट के नाम ग्राम भटेवर पटवार हल्का भटेवर की आराजी नम्बर 1073मी. रकबा 7 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार होकर इस भूमि का कोई मुआवजा अपीलान्ट द्वारा प्राप्त नहीं किया गया । इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा. संख्या 3407 से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज कर दी। इस कारण से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट द्वारा अपनी उक्त भूमि कभी भी रेस्पोडेन्ट को विक्रय नहीं की, ना ही इस भूमि का कोई मुआवजा प्राप्त किया। अपीलान्ट द्वारा इस आशय का एक वाद उपखण्ड अधिकारी मावली में भी प्रस्तुत किया गया। जिसके प्रकरण संख्या 115/13 है। जिसमें न्यायालय

द्वारा आदेश दिनांक 24.04.13 से यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थी के हक हिस्से पर अग्रिम आदेश तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जो आज भी प्रभावी है इसके उपरान्त अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने की नीयत से उक्त नामान्तकरण खोल कर रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित कर दी गई। पटवारी हल्का भटेवर व भू–अभिलेख निरीक्षक दरौली द्वारा जानबुझकर अपने लाभ के लिये रेस्पोडेन्ट से मिल कर अपीलीय नामान्तकरण खोल दिया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं है। अपीलान्ट को नामान्तकरण की जानकारी होते ही पटवारी एवं अन्य अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई, तत्पश्चात नामान्तकरण की नकल दिनांक 14.03.18 को प्राप्त कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 3407 दिनांक 27.10.17 को निरस्त फरमाया जावें।

अपने अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद कण्डोन कराये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण प्रार्थी को बिना सुने तथा सूचना दिये बिना पारित किया गया। ऐसा आदेश एबइनिश्योवोईड होकर बिना अधिकार के हैं। ऐसे प्रकरण में मियाद का बिन्दु लागु नहीं होता हैं। अपीलान्ट को आदेश का ज्ञान होते ही नकल प्राप्त करते ही अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं। अपील पेश करने में जानबुझकर कोई देरी नहीं की हैं। अपील को पेश करने में हुई देरी को कण्डोन कराया जाकर अपील अन्दर मियाद लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अपीलार्थीगण की वादग्रस्त आराजी 1073मी के संबंध में कार्यालय भूमि अवाप्त अधिकारी से अवाप्त भूमि के संबंध में जानकारी ली जाकर अवाप्त भूमि की पत्रावली तलब की गई। जो शामिल पत्रावली है।

रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया कि आराजी नं. 1073 मौजा भटेवर रकबा 0.0650है. अवाप्त किया गया । जिसकी अवाप्ति की सूचना धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण की गई। अपीलान्ट द्वारा इस भूमि के संबंध में एक मिथ्या वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है। जहा से अपीलार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने पर विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुये अवाप्त अधिकारी द्वारा भूमि का अवार्ड आदेश जो पारित किया गया है और पारित अवार्ड की राशि प्राप्त किये जाने के क्रम में विभागीय पूर्तियां यानि बैंक खाता संख्या, पेन खाता आदि का विवरण अपीलार्थी से चाहा गया। जिसके पत्र की प्रति तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी शोभालाल को व्यक्तिशः तामील कराने के निर्देश दिये गये। अपीलांट की भूमि वर्ष 2002 की अवाप्ति की कार्यवाही तत्कालीन अधिसूचना के तहत अवाप्त की गई। शेष उक्त 0.0650है. भूमि उपरोक्त अवाप्ति कार्यवाही के अतिरिक्त अवाप्त की गई। जिसकी पृथक से कार्यवाही वर्ष 2009 में उद्घोषित की

गई। किन्तु विभागीय कारणों व छःलेन सड़क निर्माण में विलम्ब होने के कारण आधिपत्य नहीं लिया गया। अवाप्त भूमि होते हुये भी उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन की कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा अवैधानिक रूप से सही एवं वास्तविक तथ्यों से परे रखते हुए कराया जाना विभाग की जानकारी में आया है। उक्त विधि विरूद्ध कार्यवाही से बचने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(डी) के अनुसार उक्त अवाप्ति कार्यवाही सर्वोपरि कार्यवाही है। जिसे किसी भी स्तर पर चुनौति देने का अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त नहीं रहता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को Conceal करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा इस भूमि 0.0650 है. के संबंध में रिट याचिका एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1704/2019 संस्थित की गई है। जिसकी आगामी सुनवाई दिनांक 24.07.19 को नियत है। अपीलान्ट को अवाप्त के संबंध में समस्त कार्यवाहियों की जानकारी पूर्ण रूप से रही है और विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट के साथ जारी गजट नोटिफिकेशन दिनांक 03.12.2010 से भूमि का अवार्ड पारित किया जाकर नामान्तकरण दर्ज किया गया है, फिर किस अधिकारिता के तहत यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट के मिथ्या कृत्य व आचरन की पुष्टि करता है। अपीालान्ट द्वारा मिथ्या कथनों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिसे निरस्त फरमाये जाने का आदेश पारित किया जायें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के ग्राम भटेवर, में स्थित आराजी नंबर 1073 मी रकबा 7 बिस्वा भूमि का रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना कोई मुआवजा दिये नामान्तकरण सं. 3407 से भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा इस बाबत मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर से इस भूमि पर विपक्षी के विरूद्ध अस्थायी स्थगन आदेश मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के प्रभावी थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के दौरान अपीलीय नामान्तकरण दर्ज कर अपीलान्ट को बिना कोई सूचना दिये रेस्पोडेन्ट के पक्ष में भूमि का हस्तान्तरण कर दिया गया। सारी कार्यवाही मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने की नीयत से उक्त नामान्तकरण को खोला गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही अवैध व शून्य है। क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा मुझ अपीलान्ट को अवाप्त भूमि का कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया, ना कोई मुझे सूचना दी गई, ना ही अवाप्ति बाबत नोटिस जारी किया गया। सारी कार्यवाही रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिलकर की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलीय नामान्तकरण से दर्ज भूमि पुनः अपीालान्ट के नाम खाते किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को शुरू से ही थी। अपीलान्ट के खाते में कुल 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि दर्ज थी। जिसमें से पूर्व में एन.एच.ए.आई.

द्वारा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि अवाप्त किये जाने से जरिये नामान्तकरण सं0 1679 दिनांक 19.06.04 से एन.एच.ए.आई. नई दिल्ली के नाम दर्ज हुआ। शेष भूमि 7 बिस्वा में से 0.0650 है. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 उदयपुर के 6 लेन में आने से अवाप्ति हेतु धारा 3ए की विज्ञप्ति दिनांक 07.12.09 को जारी हुई थी। जिसका अवार्ड अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने अवार्ड सं.54/19 दिनांक 08.03.19 से 10,07,242/– का जारी किया जाकर अपीलार्थी शोभालाल को जरिये पत्र क्रमांक एन.एच.ए.आई. /6लेन/वल्लभनगर /2018 /253 दिनांक 14.03.18 से अवार्ड जारी की सूचना प्रेषित की गई। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा एक अपील न्यायालय भू प्रबध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के आदेश दिनांक 26.02.19 प्र.सं. 115/13 की प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा अपने प्र.सं. 05/19 निर्णय दिनांक 17.07.19 में अपीलान्ट की वादग्रस्त भूमि को राजस्व रेकार्ड अनुसार अवाप्त होकर अवार्ड जारी हो जाना माना है एवं राजस्व अभिलेखों में भूमि का नामान्तकरण किया जाना माना है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलान्ट के खाते की भूमि मौजा भटेवर के आराजी नंबर 1073 रकबा 7 बिस्वा भूमि में से जरिये अवार्ड संख्या 54/19 दिनांक 08.03.19 से 10,07,242/– राशि का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा जारी किया गया। उक्त आराजी को छः लेन हेतु अवाप्ति बाबत अधिसूचना दिनांक 07.12.09 को जारी होकर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। जिस पर तत्कालिन भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा आपत्तियों की सुनवाई की जाकर धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 03.12.10 को प्रकाशित हुई। अवार्ड की सूचना से भी अवाप्ति अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 253 दिनांक 04.03.18 से मार्फत तहसीलदार वल्लभनगर प्रेषित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तकरण सही दर्ज किया गया है। उसके निस्तारण में किसी प्रकार की वैधानिक अवहेलना नहीं की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील साबित नहीं होने से अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती हैं।

निर्णय की प्रति मय अवाप्ति अधिकारी की पत्रावली पुनः प्रेषित की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को निर्णय की प्रति नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर